

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, खल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रविन्द्रपाल कौर बनाम छिन्द्रपाल कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर 07/2025

निर्णय दिनांक :- 07.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी रविन्द्रपाल कौर पुत्री सतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं को राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 05/05 में प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्रपाल कौर के नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्रपाल कौर पत्नी बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं को राजस्व ग्राम 3 वीं, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 85/16 में वादी रविन्द्रपाल कौर के नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 07.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददर्ई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	304	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 07.03.2025

क्रमांक: रीडर/2025/152

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर